ऑन लाईन नं. **RCMS 2016/00020**

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 05/2016

1. राजभूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति जटसिख साकिन 36 आर.बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान–जरिये तहसीलदार राजस्व, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. जसपाल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 36 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. करणी सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख साकिन 36 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर दिनांक 30.10.2015 जिसकी रूह से मृतक अंग्रेज सिंह पुत्र रणजीत सिंह की वसीयत के आधार पर इन्तकाल तस्दीक किया गया बमुराद मन्सूख है।

उपस्थित :

1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री नितिन कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–2
3. ज्योति गोस्वामी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या –3

::आदेश :: दिनांक :–31.08.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गैर कानूनी है तथा दौबारा गौर मिसल के है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें कोई जमीन का हवाला नहीं दिया गया वह कौन से चक व कौन से मुरब्बा की वसीयत के आधार पर इन्तकाल करवाना चाहते है ना ही राम सिंह के वारिसान का नाम प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये है इसलिए प्रार्थना पत्र मूल रूप से खारिज करने योग्य था मगर अदालत मातहत ने इस पर गौर नहीं किया इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अपीलांट द्वारा इस वसीयत के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि गलत तरीके से इन्तकाल किया जा रहा है जिसे रोका जावें मगर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य आने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना ही आदेश पारित करके कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत मातहत का आदेश गैर कानूनी है वह दौबारा गोर मिसल के है। अपीलांट के दादा ने कोई वसीयत नहीं की थी लेकिन अपीलांट के पक्ष में दिनांक 02.12.2013 को अपनी अन्तिम वसीयत की थी इससे पूर्व तमाम वसीयत निरस्त कर दी थी इस वसीयत के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देना चाहिए था लेकिन अदालत मातहत ने आदेश बिना किसी आधार पर पारित किया गया है। अपीलांट का जन्म दिनांक 22.01.1995 में हुआ है तथा अपीलांट का नाम राजभूपेन्द्र सिंह है जो जन्म से ही दर्ज है लेकिन जो वसीयत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दिनांक 30.08.1993 को पेश की गई है उस समय अपीलांट का जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन उसमें अपीलांट का नाम रूपेन्द्र सिंह कैसे दर्ज किया गया यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो विधिवत् नोटिस जारी किये, ना ही सही नाम अखबार में छाया किया गया जिस अखबार में छाया करवाया गया वह ना तो किसी गांव में जाता है ना ही उसका अखबार का अपीलांट को पता चला। इसलिए अदालत मातहत द्वारा जल्दबाजी से आदेश पारित किया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गया है। पटवारी हल्का द्वारा स्थगन का हवाला दिया गया लेकिन अदालत मातहत ने उसकी प्रवाह ना करके आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक व न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ होने की वजह से निरस्त करने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया इसलिए अपीलांट को आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि दिनांक 15.11.2015 को इन्तकाल का आदेश दे रखा है पता चलते ही दिनांक 07.01.2016 को नकल दरखवास्त दी जिस पर नकल दिनांक 07.01.2016 को मिली तथा दिनांक 08.01.2016 को प्रार्थी का प्रेक्टीकल था इस वजह से श्रीगंगानगर नहीं आ सका दिनांक 09.01.2016 व 10.01.2016 को अवकाश होने की वजह से अपील नहीं कर सका। अब अपीलांट बिना किसी देरी के अपील पेश कर रहा है जो ईल्म से अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील स्वीकार की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.10.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वसीयत दिनांक 02.12.2003 के आधार पर अपीलांट इन्तकाल दर्ज करवाना चाहता है उसमें सीजेएम श्रीगंगानगर द्वारा अंग्रेजसिंह के बताये गये हस्ताक्षर फर्जी व कूटरचित पाये जाने पर चार्जशीट जारी कर दी गई है। अधिवक्ता अपीलांट का यह ऐतराज की वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व सुना नहीं गया कतई सत्य नहीं है क्योंकि सबको नोटिस जारी किये गये है एवं प्रचलित अखबार लोकसम्मत् एवं जनमार्ग जो कि जिला श्रीगंगानगर में जारी होते है में उक्त नोटिस साया करवाया गया है। वसीयत दिनांक 30.08.1993 को माननीय हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा भी रिट पेटीशन संख्या 605/1999 में सही माना गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2015 को बहाल रखा जावें।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के दादा ने कोई वसीयत नहीं की थी लेकिन अपीलांट के पक्ष में दिनांक 02.12.2013 को अपनी अन्तिम वसीयत की थी इससे पूर्व तमाम वसीयत निरस्त कर दी थी। वसीयत दिनांक 02.12.2013 के आधर पर ही अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देना चाहिए था लेकिन अदालत मातहत ने आदेश बिना किसी आधार पर पारित कर दिया गया। अपीलांट का जन्म दिनांक 22.01.1995 को हुआ तथा अपीलांट का नाम राजभूपेन्द्र सिंह है जो जन्म से ही दर्ज है लेकिन जो वसीयत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दिनांक 30.08.1993 को पेश की गई है उस समय अपीलांट का जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन उसमें अपीलांट का नाम रूपेन्द्र सिंह कैसे दर्ज किया गया यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो विधिवत् नोटिस जारी किये, ना ही सही नाम अखबार में छाया किया गया जिस अखबार में छाया करवाया गया वह ना तो किसी गांव में जाता है ना ही उसका अखबार का अपीलांट को पता चला। इसलिए अदालत मातहत द्वारा जल्दबाजी से आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा स्थगन का हवाला दिया गया लेकिन अदालत मातहत ने उसकी प्रवाह ना करके आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक व न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ होने की वजह से निरस्त करने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को जो नोटिस जारी किया गया उस पर तामील कुन्निदा की रिपोर्ट अनुसार नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया जिस पर किसी गवाह या अन्य किसी मौजीज व्यक्ति के हस्ताक्षर भी नहीं है। इसलिए उक्त तामील विधिवत् नहीं करवाई गई है। अपीलांट द्वारा उक्त विवादित वसीयत के आधार पर इन्ताकल की कार्यवाही किये जाने से पूर्व तहसीलदार एवं जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे जिन पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वसीयत दिनांक 30.08.1993 को निरस्त कर वसीयतकर्ता द्वारा एक नई वसीयत दिनांक 02.12.2013 को की गई जिसमें रधुवीर सिंह, जगरूप सिंह व राजेन्द्र सिंह के शपथ पत्र लगे हुए है जिन्होनें उक्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

वसीयत को सही होना माना है। वसीयत की जानकारी होते हुए भी पुरानी वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाया क्योंकि उसमें राजभूपेन्द्र का नाम नहीं है। वसीयत रजि0 हो या नहीं उसे सही साबित करना होता है जबकि तहसीलदार द्वारा कोई गवाह नहीं लिया गया ना ही बयान लिये गये। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा वसीयत दिनांक 02.12.2013 के सम्बन्ध में फर्जी वसीयत बाबत एफआईआर दर्ज होना बताया । एफआईआर दर्ज होने से उक्त वसीयत फर्जी साबित नहीं होती है जब तक उसमें सजा नहीं हो जाती। लिहाजा अपील स्वीकार की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.10.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई :-

1. आर.आर.टी. 2002(1) पेज :- 257 से 260
2. आर.आर.टी. 2017(2) पेज :- 1279 से 1281
3. आर.आर.टी. 2002(2) पेज :- 786 से 789
4. आर.आर.टी. 2002(1) पेज :- 139 से 142
5. आर.आर.डी. 1994 पेज :- 604 से 606

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार पदमपुर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाई जाकर दिनांक 30.06.2015 को वसीयत के आधार पर जो इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है वह विधिवत् रिपोर्ट प्राप्त की जाकर एवं सुनवाई की जाकर पारित किया गया है क्योंकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर को वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2015 को प्रस्तुत करने पर भू0अ0 निरीक्षक वृत फकीरवाली से पत्रांकः-भू.अ./15/3438 दिनांक 18.09.2015 से रिपोर्ट चाही गई। भू0अ0 निरीक्षक वृत फकीरवाली ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.09.2015 द्वारा प्रेषित कर अंकित किया कि "तहसील कार्यालय में उपलब्ध सबसे पुराने रिकॉर्ड अनुसार सम्वत् 2012 व 2018 की जमाबन्दी में चक 36 आर.बी. व 37 आर.बी. में भूमि अग्रंज सिंह पुत्र ... सिंह जाति जटसिख के स्वयं के नाम ही है। अंग्रेज सिंह स्वयं के नाम दर्ज रिकॉर्ड पर पटवार रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान में कोई स्थगन नहीं है।" अधिनस्थ न्यायायलय तहसीलदार पदमपुर द्वारा वसीयत के आधार पर आदेश पारित करने से पूर्व जो नोटिस जारी किये गये है वे राजेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह उर्फ अंग्रेज सिंह,रधुवीरसिंह पुत्र राम सिंह उर्फ अंग्रेज सिंह, जगरूप सिंह पुत्र राम सिंह उर्फ अंग्रेज सिंह व सुखवीर कौर पुत्री पुत्र राम सिंह उर्फ अंग्रेज सिंह के नाम से जारी किये गये है एवं उक्त नोटिस की एक प्रति प्रचलित अखबार लोकसम्मत् एवं जनमार्ग में भी साय करवाये गये है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर वसीयत दिनांक 30.08.1983 के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने से पूर्व सभी वारिसान को विधिवत् सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया जाना प्रमाणित होता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर का आदेश दिनांक 30.10.2015 यथावत रखा जाता है । आदेश की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)